न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 02/11–12, टी0आर0 न0 128/20–21

कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा :– अधियाची विभाग
बनाम
मो0 नेजामुद्दीन, ग्राम–बगड़ू रोड लोहरदगा, पो0+ थाना– लोहरदगा, जिला–लोहरदगा देनदार

14/6/21

<u>आदेश</u>

यह नीलाम पत्र वाद कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा बिजली विपत्र/बिल राशि भुगतान नही करने के विरूद्ध **मो0 13287/– (तेरह हजार दो सौ सतासी)** रूपये देनदार मो0 नेजामुद्दीन, ग्राम–बगड़ू रोड लोहरदगा, पो0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा पर नीलाम पत्र वाद की धारा 5 के अन्तर्गत अधियाचना समर्पित किया गया है।

नीलाम पत्र वाद धारा 5 के अन्तर्गत अधियाचना समर्पित करने के पश्चात दिनांक 18.04.2011 को नीलाम पत्र वाद धारा 7 के अन्तर्गत ~~को~~ नोटिस निर्गत कर तामिला हेतु भेजा गया। जिसपर पिता का नाम अंकित/दर्ज नहीं रहने के कारण बिना तामिला के वापस किया गया। उसके वावजूद पत्रांक 84, दिनांक 13.07.16, पत्रांक 161, दिनांक 30.12.16 के साथ–साथ कार्यालय पत्रांक 39, दिनांक 25.11.17, के द्वारा गिराफ्तारी वारंट भी निर्गत किया गया। जिसपर भी पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी, लोहरदगा भी यह कहते हुए वारंट वापस किया कि पिता का नाम नहीं रहने के कारण बिना तामिला वापस किया गया है।

यह वाद इस न्यायालय को दिनांक 10.12.2020 के हस्तान्तरण के पश्चात् पुनः कार्यालय पत्रांक 31, दिनांक 11.01.2020 द्वारा अंतिम रूप से नोटिस निर्गत किया गया। जिसपर तामिला प्रतिवेदन में भी वही पिता का नाम नहीं होने के कारण बिना तामिला

	वापस आया है। तब कार्यालय के पत्रांक 89, दिनांक 08.02.2021 एवं पत्रांक 163, दिनांक 09.03.2021 से स्मारित किया गया किन्तु अधियाची विभाग का कोई अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त स्थिति में अधियाची विभाग के अभिरूचि नहीं लेने के कारण PDR Act की धारा 53 (2) के अन्तर्गत वाद संख्या 02/11-12, टी0आर0 न0 128/20-21 को रदद् खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कार्यपालक अभियंता विद्युत, लोहरदगा को भेजें। सत्यापित/लेखापित जिला नीला पत्र पदाधिकारी, लोहरदगा

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.27 10:25:29 +05:30
Location: 10.93.49.26